न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरणसर

बअदालत – श्री शिवपाल जाट, आर. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या – 2019/35

1. हनुमान पुत्र दुलाराम जाट निवासी ढाणी पुरवाना तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।

– वादी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) लूनकरणसर

–प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 आरटीए एवं 136 एल आर एक्ट

उपस्थित –

1. श्री नेतराम सियाग वकील वादी।
2. पैरोकार राज

–:निर्णय:–

दिनांक :– 31.07.2019

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए एवं धारा 136 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन किया है कि वादी के नाम ग्राम सुंई तहसील लूनकरणर के खसरा नम्बर 40/2 रकबा 16.10 बीघा पुरानी खरीद शुदा भूमि है। वादगत भूमि का बैयनामा के समय कोई दस्तावेज साथ नहीं लगने के कारण वादी का साकिन शेखसर बास खोडाला लिख दिया गया था। क्योंकि उक्त भूमि खोडाला के नजदीक होने के कारण ही लिखा गया है। वादी कभी शेखसर बास खोडाला में कभी निवास नहीं किया न आज निवास कर रहा हैं। वादी बैयनामा के समय से लेकर आज तक ढाणी पुरवाना में ही निवास कर रहा है। चूंकि उस समय उक्त भूमि मौजा रोही सूंई में थी जो अब सूंई ग्राम पंचायत में ढाणी पूरवाना राजस्व ग्राम बन गया है। उक्त भूमि सूंई से अलग होकर ढाणी पूरवाना में

दर्ज हो गई है। इसलिए वादी साकिन शेखसर बास खेाडाला के स्थान पर ढाणी पूरवाना करवाने का हकदार है। जिसकी घोषणा की जावे। प्रतिवादी को जरिए समन तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश कर वादपत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया तथा वादी की सकूनत बदलने से सरकार को कोई हानि नहीं हो रही है। अतः वाद वादी स्वीकार किये जाने में प्रतिवादी को कोई आपति नहीं है।

हमने रिकार्ड का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित नकल जमाबंदी सम्वत 2072 – 75 गांव करनाला ताल, तस्दीक ग्राम पंचायत सूंई, मूल निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति, जाति प्रमाण पत्र, बैंक डायरी आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिचय पत्र निर्वाचन, भामाशाह कार्ड, पास बुक की छायाप्रति आदि पेश की है। सभी दस्तावेजों में वादी की सकूनत ढाणी पूरवाना (सूंई) अंकित है।

राज पैरोकार को उक्त सकूनत दुरूस्त करने में कोई आपति नहीं है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाता है एवं रोही मौजा करनाणा ताल के खसरा नम्बर 40/2 खाता संख्या 145 में वादी की भूमि 16.10 बीघा में जहां सकूनत शेखसर बास खोडाला अंकित है, के स्थान पर ढाणी पूरवाना (सूंई) दुरूस्ती की घोषणा की जाती है। तद्नूसार पर्चा डिक्री जारी हों। तहसीलदार लूनकरनसर को उक्त निर्णय की पालना में रिकार्ड दुरूस्त करें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/7/19

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरणसर